उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-137/2019/2375/92-2-19-03टीएसी/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 17 अक्टूबर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद सिद्धार्थनगर में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये अति पिछडे अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत एवं अवस्थावना सुविधाओं यथा-पेयजल, आवास निर्माण, सम्पर्क मार्ग एवं सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण कार्यो की टी0ए0सी0 जांच में परिलक्षित शासकीय क्षति एवं अन्य अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2019/108/92-2-19-03टीएसी/17 दि0 18-01-2019 द्वारा श्री पी0डी0 यादव, तत्का0 अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर सम्प्रति सहायक अभियंता, पीआईयू0-फैजाबाद के विरूद्ध उ0प्र0सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-गोरखपुर के पत्र संख्या-2296 /ग्रा0 अ0वि0/जांच-एस0टी0-कानपुर/18-19 दि0 12-03-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलबध करायी गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 02 आरोप स्थापित न पाये जाने के द्रष्टिगत श्री पी0डी0 यादव तत्का0 अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर सम्प्रति सहायक अभियंता पीआईयू-फैजाबाद के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18-01-2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-137/2019/2375 /(1)/92-2-2019 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0,लखनऊ !

2- श्री पी0डी0 यादव, तत्का0 अवर अभि0,ग्रा0अभि0विभाग,प्रखण्ड-सिद्धार्थनगर सम्प्रति-सहायक अभियंता, पीआईयू-फैजाबाद द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अवध नारायण )

उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in